FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0070 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/05/2024 22:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 01/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:45 बजे **Time To (समय तक):** 12:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/05/2024 **Time (समय):** 21:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/05/2024 22:24:30 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT, BRAHAMAN BERADA, DAUSA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHENDRA KUMAR BAIRWA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAGHUNATH BAIRWA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHOOLKOT MAANPUR, SIKARAI DAUSA, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHOOLKOT MAANPUR, SIKARAI DAUSA, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8743860531

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NITESH SHARMA		पिता:RAJESH SHARMA	1. PRADHAN PARADISE NEAR,PRATAP NAGAR DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशी प्रन्द्रह हजार	15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 29.04.2024 को उच्चाकारियों के मार्फत परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा ने मन् निरीक्षक पुलिस को लिखित रिपोर्ट इस आषय की पेष की कि सेवामें, श्रीमान् अति. पु. अधिक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर विषय - लोकसेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने हेतु, महोदय उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मै महेन्द्र कुमार बैरवा, मैं सरकारी ठेकेदार हू, मैनें ग्राम पंचायत ब्राह्मण बरोड़ा (प.स. सिकन्दरा) मैनें, सुरक्षा दीवार, स्कूल में कमरो, व नाला निर्माण कार्य का काम किया हैं जिसका अनुमानित बिल 9,30,000 रू. का बना हैं जिसके बिल JEN सिकन्दरा ने बिल बना दिये, जो मैनें ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा के ग्राम विकास अधिकारी को (नितेश शर्मा) को भुगतान हेतु करीब दो माह पहले सुपुर्द कर दिये थे जिसमें से VDO ने मेरा दो लाख का आज (29.04.2024) मुझे भुगतान कर दिया है, शेष भुगतान के लिए पूर्व में किये गये कार्य (नाली मय सीसी रोड निर्माण कार्य बीन्दरवाड़ा) 2.00 लाख रू. के आठ प्रतिशत (8) कमिशन के हिसाब से 16000 रू रिश्वत मांग रहा हैं, जो रिश्वत देने पर ही मेरा शेष भुगतान करेगा, 731000 रू के बदले भी 8 प्रतिशत के हिसाब से और स्कूल के कमरो निर्माण (विधायक मद) के 5 प्रतिशत के हिसाब से 13000 रू कमीशन मांग रहा हैं, मैं मेरे वाजीब कार्य के बदले VDO को रिश्वत नहीं देना चाहता, तथा मैं VDO नितेश शर्मा को रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं मेरे VDO नितेश शर्मा से कोई रंजिश नहीं है ना ही कोई उधार बकाया हैं। दिनाक 29.04.2024 प्रार्थी महेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र स्व. श्री रघुनाथ बैरवा, उम्र- 36 वर्ष, निवासी- ग्राम-धुलकोट, पोस्ट-मानपुर तह0 सिकराय जिला दौसा मो0न0 8743860531, उक्त लिखित रिपोर्ट के सबंध में दरियाफ्त कि तो परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा ने बताया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, उपरोक्त रिपोर्ट मेरी स्वयं की लिखी हुई हैं। मैं करीब पांच साल से सरकारी ठेकेदार हूं। मेरी फर्म अमृत कन्स्ट्रक्शन हैं। ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा में टाईल्स, दीवार, स्कूल के कमरो का निर्माण कार्य, नाला निर्माण कार्य का काम किया था। उसमें से स्कूल के कमरो एवं नाला निर्माण का मेरा करीब 9,30,000 रूपये के बिल बने थे, जो जे.ई.एन पंचायत समिति सिकन्दरा ने बिल बनाकर मुझे दे दिये तथा मैनें भुगतान हेतु VDO नितेश शर्मा को करीब दो माह पहले दे दिये थे। VDO नितेश शर्मा के पास बार बार चक्कर काटने पर आज दिनांक 29.04.2024 को मुझे दो लाख रूपये का भुगतान कर दिया हैं, उक्त भुगतान के बदले VDO नितेश शर्मा मुझसे 8 प्रतिशत कमिशन के हिसाब से 16000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा हैं तथा उक्त रिश्वत राशि लेने पर ही शेष बकाया 7,31,000 रूपये का भुगतान करने के लिए कह रहा हैं। शेष भुगतान के लिए भी नाली व सीसी रोड निर्माण कार्य का 8 प्रतिशत के हिसाब से बतौर कमिशन रिश्वत राशि मांग रहा हैं तथा स्कूल के कमरो का निर्माण (विधायक मद) के 5 प्रतिशत के हिसाब से 13,000 रूपये की रिश्वत मांग रहा हैं।' इस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी द्वारा प्रार्थना में लिखित तथ्यों की ताईद कर सदिग्ध अधिकारी से कोई पुराना उधार लेन-देन नहीं होना तथा कोई रंजिश आदि नहीं होना अवगत कराया गया। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा परिवादी से हुई मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाने के कारण मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं। जिस हेतु कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री रमजान कानि0 नं0 466 को तलब कर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा से परिचय करवाया जाकर कार्यालय से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड (32 जीबी सनडिस्क कम्पनी का) मंगवाया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली एसडी कार्ड/मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर उसका खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की आवश्यक समझाईस की गई। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आज मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मेरा घर पर जाना जरूरी है मैं कल संदिग्ध अधिकारी से मेरे कार्य के सम्बंध में वार्ता करूंगा। जिस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने तथा आईन्दा संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु जाने से पूर्व मन् निरीक्षक पुलिस तथा श्री रमजान कानि0 को जरिये दूरभाष सूचित करें । कानि0 श्री रमजान को हिदायत हुई कि परिवादी द्वारा सूचित करते ही कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर परिवादी से सम्पर्क कर नियमानुसार सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। दिनांक 30.04.2024 को परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि पंचायत समिति सिकंदरा में किसी अधिकारी का रिटायरमेंट प्रोग्राम हैं जिसमें शामिल होने के लिए VDO नितेश शर्मा गया हुआ हैं, कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद मैं पंचायत समिति

सिकंदरा में VDO नितेश शर्मा से मेरे शेष पेंमेट के भुगतान की बात करने के लिए मिलूंगा तो वह मुझसे कमिशन पेटे रिश्वत की मांग करेगा। जिस पर कानि0 श्री रमाजन अली को तलब कर परिवादी द्वारा दी गई सूचना से अवगत करवाकर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी से सम्पर्क करने हेतु सिकन्दरा के लिये रवाना कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को पूर्व में किये गये भुगतान 2 लाख रूपये के एवज में 8 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 16,000 रूपये व शेष बिलों की राशि का भुगतान करने के एवज में कुल 13,000 रूपये रिश्वत राशि तथा 3,500 रूपये पहले के भुगतान किये गये बिल की एवज में रिश्वत की मांग करना तथा उक्त रिश्वत मांग में से 16,000 रूपये कल लेकर बुलाने की पुष्टि हुई। परिवादी द्वारा भी उक्त तथ्यों की पुष्टि की गई। जिस पर परिवादी को रिश्वत मांग के अनुसार दिनांक 01.05.2024 को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु कानि0 श्री पन्नालाल से क्रमशः श्री चरण सिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति-राजपुत उम्र 40 साल निवासी- मकान नं. 24, श्याम नगर, नाडी का फाटक, बैनाड़ रोड़ जयपुर हाल वाणिज्यक सहायक-द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियंता, जी-द्वितीय, जयपुर डिस्कॉम,सेक्टर नम्बर 9, विधाधर नगर, जयपुर, श्री उमेश सैनी पुत्र घनश्याम सैनी निवासी प्लोट नम्बर 263, रींगस रोड़, बोड़ी कोठी, चौमु, जयपुर हाल तकनीशियन-द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियंता, जी-द्वितीय, जयपुर डिस्कॉम,सेक्टर नम्बर 9, विधाधर नगर, जयपुर को पाबंद करवाया जाकर उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 01.05.2024 को प्रातः 0830 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। दिनांक 01.05.2024 को परिवादी श्री महेंन्द्र कमु ार बैरवा के कार्यालय में उपस्थित आने तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चरण सिंह तथा श्री उमेश सैनी के कार्यालय मे उपस्थित आने पर परिवादी तथा उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान का परस्पर परिचय करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया गया । परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य दिनांक 30.04.2024 को हुई रिश्वती मांग सम्बन्धी वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादी से बातचीत कर उसकी शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से टैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई। तत्पष्चात उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 15,000/-रूपये जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000/- रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि मेरे से अभी इतनी ही राशि की व्यवस्था हो पाई है। जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटों के नम्बर मन् निरीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री मनीष सिंह कानि0 486 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त पांच-पांच सौ रूपये के 30 नोटों पर श्री मनीष सिंह कानि0 486 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री उमेश सैनी से परिवादी श्री महेन्द्र कमु ार बैरवा की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री मनीष सिंह कानि0 486 से परिवादी के पहने पेंट की बांयी तरफ की जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 15,000/-रू. संदिग्ध अधिकारी को देने हेतु रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को जब तक नहीं छुयेगा तब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहं ा रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावे, दूर से ही अभिवादन कर लेवे। संदिग्ध अधिकारी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर 97851-43919 या श्री रमजान कानि0 के मोबाईल नम्बर 9829458232 पर मिसकॉल/फोन कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करे। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्री मनीष सिंह कानि0 486 के दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि संदिग्ध अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा श्री मनीष सिंह कानि0 486 के दोनो हाथ को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व

साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शीशियंk, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल फोन उसे सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपनी पेंट की दाहिनी जेब में रखे आवश्यकता पड़ने पर ही अपने फोन से बात करें। श्री मनीष सिंह कानि0 486 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर अलग से तैयार कर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री चरण सिंह, उमेश सैनी, मय श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री पन्नालाल कानि0 न0 09, श्री विनोद कानि0 न0 242, श्री रमजान कानि0 न0 466, श्री धर्मसिंह कानि0 249 चालक श्री गोविन्द सिंह कानि0 616 मय परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा के मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 9166 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर सिकन्दरा चौराहा, जिला दौसा नेशनल हाईवे थोडी पहले पहुच कर गाड़ी साईड में खड़ी करवाई गई तो परिवादी ने बताया कि मैं संदिग्ध अधिकारी को फोन करके पता कर लेता हु कि संदिग्ध अधिकारी ग्राम पंचायत पर मिलगें या पंचायत समिति सिकन्दरा पर जिस मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यवाही में रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जो ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित है को श्री रमजान अली कानि. से बाहर निकलवाकर परिवादी व रमजान अली कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाकर श्री रमजान अली कानि. द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी से संदिग्ध अधिकारी से परिवादी के मोबाईल फोन नं. 8743860531 से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल फोन नं.6376177499 करवाकर परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन करवाया गया लेकिन संदिग्ध अधिकारी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। तत्पश्चात पुनः परिवादी से संदिग्ध अधिकारी को फोन का स्पीकर ऑन करवाकर कॉल करवाया गया तब संदिग्ध अधिकारी द्वारा कहा गया कि मैं ग्राम पंचायत कार्यालय पर ही हु जिस पर परिवादी द्वारा आधे घण्टे में ग्राम पंचायत कार्यालय पर पहुचने की बात की कही। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बन्द करवाकर श्री रमजान अली से सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुिलस मय हमराहियान के सिकन्दरा चौराहा, जिला दौसा नेशनल हाईवे के थोडी पहले से रवाना होकर समय करीब 1230 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के सिकन्दरा चौराह पर पहुचंk। जंहा पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा ने बताया कि यहंk से ब्राह्मण बैराडा नजदीक हैं आगे इस प्रकार की टे^वलर गाडी ले जाने पर मामले की गोपनीयता प्रभावित हो सकती हैं। मैं संदिग्ध अधिकारी श्री नितेश शर्मा के पास यंहा से मेरी मोटरसाईकिल पर जाकर आगे की कार्यवाही करवा सकता हूं जिससे संदिग्ध अधिकारी को कोई संदेह भी नहीं होगा। चुंकि रिश्वत राशि आदान प्रादान को देखने हेतु स्वतंत्र गवाह तथा संदिग्ध अधिकारी की निगरानी हेतु हमराहियान जाब्ते को परिवादी के साथ भिजवाने के लिए परिवादी को स्वयं की मोटरसाईकिल तथा एक अन्य मोटरसाईकिल की व्यवस्था करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरी मोटरसाईकिल सब्जीमण्डी, सिकंदरा चौराहे के पास खडी हैं, जिसे मैं सुबह खडी कर बस से आपके कार्यालय में गया था। तथा दूसरी मोटरसाईकिल के लिए मैंने मेरे मिलनेवाले पप्पू को फोन करके मंगवाई हैं। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति एक मोटरसाईकिल लेकर गाडी के पास पहुचंk जिसको देखकर परिवादी ने बताया कि यही पप्पू हैं, जिसको मैनें फोन करके मोटरसाईकिल मंगवायी हैं। जिसपर परिवादी को मामले की गोपनीयता रखने की हिदायत कर श्री पप्पू से मोटरसाईकिल की चाबी प्राप्त करने की हिदायत करने पर परिवादी गाडी से उतरकर श्री पप्पू से चाबी लेकर परिवादी पुनः मन् पुलिस निरीक्षक के पास गाडी में उपस्थित आया। जिस पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरी मोटरसाईकिल सब्जी मण्डी सिकन्दरा चौराहे पर खडी हैं, जिससे मैं संदिग्ध अधिकारी के पास ग्राम पंचायत बैराडा जाउंगा, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि0 रमजान को परिवादी के साथ जाने की हिदायत की गई। मण्डी के पास खडी मोटरसाईकिल से बाद मुनासिब हिदायत कर परिवादी तथा कानि0 रमजान को ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा हेतु रवाना किया तथा दूसरी मोटरसाईकिल से परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे-पीछे कानि0 श्री पन्नालाल मय गवाह श्री उमेश सैनी को बाद हिदायत रवाना किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय वाहन सरकारी के परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे पीछे सिकन्दरा चौराहा से ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा की तरफ रवाना हुआ जंहा कुछ दूरी पर जाकर सरकारी वाहन को रामगढ रोड से ब्राह्मण बैराडा गांव की तरफ जाने वाले रास्ते के पास रोड के किनारे खडा किया तथा परिवादी को पुनः संदिग्ध अधिकारी से मिलने तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत राशि सुपुर्द करने तथा श्री रमजान कानि0 के मोबाईल पर पूर्व निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई तथा विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईस कर डिजीटल वाइॅस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। कानि0 श्री रमजान, श्री पन्नालाल तथा स्वतंत्र गवाह श्री उमेश सैनी को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् परिवादी तथा कानि0 श्री रमाजन अली, श्री पन्नालाल कानि0 एवं स्वतंत्र गवाहान को मोटरसाईकिलों से कार्यालय ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा हेतु रवाना किया गया।

मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ सरकारी वाहन से ग्राम बाह्मण बैराडा पहुंचा, जहां पर कार्यालय ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा के भवन से सरकारी वाहन को करीबन एक किमी दूर खडा करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता भी पैदल-पैदल परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे-पीछे रवाना हुये। तत्पश्चात् परिवादी ने कार्यालय ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा के भवन से कुछ पहले ही कानि0 श्री रमजान अली को मोटरसाईकिल से उतारकर अपनी मोटरसाईकिल को ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा के कार्यालय भवन के सामने खडा किया ताथा परिवादी कार्यालय के अन्दर चला गया। कानि0 श्री रमजान अली, श्री पन्नालाल तथा गवाह श्री उमेश सैनी अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये उक्त ग्राम पंचायत कार्यालय भवन के बाहर तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता भी कार्यालय ग्राम पंचायत के भवन के पास में पहुंचकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी पर नजर रखते हुये परिवादी के इंशारे के इंतजार में मुकीम हुये। तत्पश्चात् समय 01ः21 पीएम पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा ने अपने मोबाईल नम्बर 8743860531 से श्री रमजान कानि0 466 के मोबाईल नम्बर 9829458232 पर मिस्ड कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर श्री रमजान अली कानि0 ने मन् निरीक्षक पुलिस को इशारा किया तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते एवं स्वतंत्र गवाहान के साथ कार्यालय ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा के भवन परिसर में प्रवेश कर सिढीयों से प्रथम फ्लोर, जहां पर ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा का कार्यालय कक्ष है, के दरवाजे पर पहुंचें, जहां पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा उपस्थित मिला। जहां परिवादी ने अपने पास से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया, जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी ने कार्यालय के मुख्य दरवाजे के बांयी तरफ के प्रथम कमरे में कुर्सी पर बैठे नौजवान की तरफ ईशारा कर बताया कि यही सचिव श्री नितेश शर्मा है, मेरी फर्म अमृत कन्ट्रक्शन को ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा से नाला मय सीसी रोड निर्माण कार्य का टेण्डर मिला है जिसका प्रथम रनिंग बिल राशि 2 लाख रूपये का बना है जिसका भुगतान मुझे हो चुका है उक्त बिल के भुगतान की एवज में श्री नितेश शर्मा ने बतौर कमीशन मुझसे बिल की राशि का 08 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत 16,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की थी। आज जब मैं अभी यहां पर आया तो श्री नितेश शर्मा मुझे नीचे ग्राम पंचायत ब्राह्मण बेराडा के भवन के मिटींग हाल के सामने मिले थे जहां पर मेरे से मेरे कार्य के सम्बंध में वार्ता कर मुझसे उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में 15,000/-रूपये प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेंट के दाहिनी जेब में रख लिये तथा मेरे साथ सिढीयों से उपर कार्यालय कक्ष में आकर अभी अपनी कुर्सी पर बैठे है। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ कार्यालय के मुख्य दरवाजे के बांयी तरफ के प्रथम कमरे में प्रवेश किया, कमरे में लगी टेबल के सामने दो कुर्सीयों पर दो व्यक्ति बेठे है तथा सामने अन्य लोग भी बैठे है जिस पर परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध सचिव श्री नितेश शर्मा को स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये पूर्ण परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री नितेश शर्मा पुत्र श्री राजेश शर्मा, उम्र- 24 साल, निवासी- प्रधान पैराडाईज के पास, प्रतापनगर, दौसा हाल- ग्राम विकास अधिकारी, ब्राह्मण बैराडा, पंचायत समिति- सिकंदरा, जिला- दौसा होना बताया। इसी दौरान उक्त कक्ष में सचिव की टेबल के सामने बैठे अन्य व्यक्ति कार्यालय उठकर बाहर जाने लगे जिनको रोककर पूछने पर उन्होंने बताया कि हम अपने काम से आये है। उक्त कार्यालय कक्ष में श्री नितेश शर्मा के बगल में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री हुकमचन्द सैनी पुत्र श्री लल्लूराम सैनी उम्र 30 साल निवासी ग्राम ब्राह्मण बैराडा, पंचायत समिति सिकन्दरा जिला दौसा हाल ग्राम पंचायत कार्यालय में ई-मित्र संचालक कम ऑपरेटर मोबाईल नम्बर 9782542591 होना बताया। इस दौरान कार्यालय कक्ष में बैठे अन्य लोग उठकर जाने लगे जिनको रोककर पूछने पर उन्होंने बताया कि हम अपने निजी कार्य हेतु कार्यालय में आये थे। जिस पर श्री नितेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी को उक्त व्यक्तियों के बारे में पूछने पर उसने भी उक्त की ताईद कर बताया कि यह लोग अपने-अपने कार्य के लिये यहा पर आये हुये है। जिस पर श्री नितेश शर्मा के कार्यालय में उसके समक्ष बैठे व्यक्तियों को रूखसत किया गया। तत्पश्चात संदिग्ध श्री नितेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा की तरफ ईशारा कर पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे कोई रिश्वत राशि ली है, तो पहले घबरा गया तथा बाद में तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि इन्होंने अभी मुझे 15,000/- रूपये दिये है। जिस पर संदिग्ध श्री नितेश शर्मा को उक्त रिश्वत राशि किस एवज में प्राप्त की है के सम्बंध में पूछने पर श्री नितेश शर्मा ने बताया कि यह ठेकेदार है इन्होंने पंचायत से ठेका लेकर नाला मय सीसी रोड निर्माण कार्य कर रहे है जिसके बिल के भुगतान की कमीशन की राशि इन्होंने मुझे आज दी है जिसको मैंने प्राप्त की है। मेरी गलती से हो गई। मैंने इनसे किसी राशि की मांग नहीं की है इन्होंने ही लाकर मुझे दी है मैंने लालच कर लिया इसलिये मैंने इनसे ले ली पर मैंने इन पर कभी रूपये देने के लिये दबाव नहीं डाला। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि सचिव झूठ बोल रहे है जब मैंने मेरे निर्माण कार्य के प्रथम बिल की राशि का भूगतान होने के उपरान्त अगला बिल पचांयत कार्यालय में प्रस्तुत कर भुगतान हेतु सचिव को कहा तो इन्होंने कहा कि अभी पेमेंट नहीं है पहले आप प्रथम बिल का 08 प्रतिशत की हिसाब से मेरा कमीशन दो तब ही आपको आगे के बिलों का भुगतान होगा। जिस पर पुनः आरोपी श्री नितेश शर्मा को पूछने पर मेरे कार्यालय से नियमानुसार बिलों का भुगतान किया जा रहा था इनके भी बिलों का भुगतान समय पर किया जा रहा था। मैंने मेरे स्तर पर इनका कोई बिल नहीं रोका है। अभी इन्होंने मुझे अपने बिल भुगतान करवाने के लिये के लिये मुझे 15,000/- रूपये दिये थे जो मैंने गलती से प्राप्त कर लिये मैंने इन पर पैसे देने के लिये कभी दबाव नहीं डाला। मैं इन पैसों के सम्बंध में इनसे बाद में

वार्ता करने वाला था क्योंकि अभी मेरे पास कई लोग बैठे हुये थे। जिस पर आरोपी श्री नितेश शर्मा को किसी फर्म द्वारा टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात रनिंग बिल भुगतान के लिये फर्म से सचिव/कार्यालय में किसी प्रकार की राशि जमा करवाने सम्बंधी नियम के बारे में पूछने पर आरोपी श्री नितेश शर्मा ने बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है किसी भी फर्म को बिल के भुगतान के लिये कोई राशि नहीं दी जाती है। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने हमराहियान कानि0 श्री रमजान अली कानि0 466 से आरोपी श्री नितेश शर्मा के दोनों हाथ पकडवाये जाकर कुर्सी पर ही बैठे रहने की हिदायत की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर गवाहान के समक्ष चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ओर पुष्टि हेतु सरकारी गाडी से पीने के पानी की बोतल तथा ट्रैप बॉक्स मांगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री नितेश शर्मा के दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री नितेश शर्मा के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी दौरान श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर मौके पर श्री सुभाष हैडकानि0 35 के साथ उपस्थित आये। जिन्होंने अग्रिम कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशानिर्देश फरमाये। तत्पश्चात् श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुभाष हैडकानि 35 को मौके पर छोडकर ब्यूरो कार्यालय हेतु रवाना हो गये। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाह श्री उमेश सैनी से आरोपी श्री नितेश शर्मा की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री नितेश शर्मा के पहनी हुई पेंट के दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के नोट बरामद हुये, जिनको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो उक्त 500-500 रूपये के कुल 30 नोट होकर कुल 15,000/- रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटks के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। जिनका विवरण फर्द में अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री नितेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा, पंचायति समिति सिकन्दरा, दौसा के कब्जे से उसके पहनी हुई पेंट के सामने की दाहिनी जेब से बरामदशुदा रिश्वती राशि 15,000/-रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री नितेश शर्मा के लिये दूसरी पेन्ट/लॉअर की व्यवस्था करने के लिये हमराहियान जाब्ते को हिदायत की गई। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री नितेश शर्मा को परिवादी की फर्म अमृत कन्ट्रक्शन द्वारा ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा में किये जा रहे निर्माण कार्या के बिल भुगतान से सम्बंधित पत्रावलियों के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री नितेश शर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में रखी आलमारी की तरफ ईशारा कर बताया कि इस आलमारी में इनकी फर्म के बिल भुगतान से सम्बंधित पत्रावलियां रखी हुई है। तत्पश्चात् मौके पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान क समक्ष आरोपी श्री नितेश शर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की आलमारी को खोलकर उसमें परिवादी की फर्म के बिलों के भुगतान से सम्बंधित दो पत्रावलियां निकालकर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की। जिनका मन् निरीक्षक पुलिस ने अवलोकन किया तथा उनके सम्बंध में आरोपी श्री नितेश शर्मा को पूछने पर श्री नितेश शर्मा ने उक्त पत्रावलियों को देखकर बताया कि इनकी फर्म द्वारा दो कार्य किये जो रहे है जिनमें एक नाला मय सीसी रोड निर्माण कार्य जाड से बालाजी मंदिर की ओर bhaदरवाडा की है तथा दूसरी पत्रावली राजकीय प्राथमिक विद्यालय दूला वाली ढाणी बडा बास में दो कक्षा कक्ष मय बरामदा निर्माण कार्य की है। नाला तथा सीसी रोड का निर्माण कार्य एफएफसी (केन्द्रीय वित आयोग, पन्द्रहवां) हैड से किया जा रहा है तथा स्कूल के कक्षा कक्ष निर्माण का कार्य एमएलए हैड से किया जा रहा है। नाला तथा सीसी रोड निर्माण कार्य के बिल भुगतान हेतु सम्बंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा 6,71,660/- रूपये का बिल पंचायत कार्यालय पर प्रस्तुत किया गया था जिसमें से टीडीएस, जीएसटी, लेब्सएस, एसडी राशि हटाने के बाद भुगतान राशि 6,04,494/- रूपये फर्म को करनी थी, जिसमें से फर्म को 02 लाख रूपये की राशि का भुगतान दिनांक 28/29.04.2024 को कर दिया गया था। स्कूल के कक्षा कक्ष निर्माण कार्य के बिल भुगतान हेतु सम्बंधित कनिष्ठ अभियंता 2,60,848/- रूपये का पंचायत कार्यालय पर प्रस्तुत किया गया था जिसमें से टीडीएस, जीएसटी, लेब्सएस, एसडी राशि हटाने के बाद भुगतान राशि 2,26,938/- रूपये फर्म को करनी थी, जिसका भुगतान होना शेष था। तत्पश्चात् आरोपी श्री नितेश शर्मा के लिये दूसरे लॉअर की व्यवस्था होने पर आरोपी श्री नितेश शर्मा के पहनी हुई पेंट को उतरवाया जाकर दूसरी लॉअर पहनाया गया। तत्पष्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री नितेश शर्मा की उतरवायी गई पेंट की सामने की दाहिनी जेब (जहां से रिष्वत राषि बरामद हुई) को उलटवाकर गिलास में

सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डूबोकर धोवन लिया गयो तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया। उसके बाद आरोपी के वरवक्त पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पजामे को एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क P अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितां के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री नितेश शर्मा को ग्राम पंचायत कार्यालय से फर्म के निर्माण कार्य के बिल भुगतान के सम्बंधित प्रक्रिया के बारे में पूछने पर श्री नितेश शर्मा ने बताया कि किसी फर्म द्वारा निर्माण कार्य करने के उपरान्त सम्बंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाकर मेजरमेंट लिया जाकर बिल तैयार कर कनिष्ठ अभियंता द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय पर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् ग्राम विकास अधिकारी की आईडी से उक्त बिल भुगतान का वाउचर बनाकर ओटीपी लगाकर सरपंच की आईडी पर प्रेषित किया जाता है फिर सरपंच द्वारा अपनी आईडी से ओटीपी से वेरीफाई करने के उपरान्त भुगतान कर दिया जाता है। श्री महेन्द्र कुमार बैरवा के निर्माण कार्य का निरीक्षण श्री जयसिंह, कनिष्ठ अभियंता द्वारा किया गया है। तत्पश्चात् आरोपी श्री नितेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवादी की फर्म से सम्बंधित पत्रावलियां, प्रकरण की विषय वस्तु से सम्बंधित होने तथा प्रकरण के अग्रिम अनुसंधान में उक्त पत्रावलियों की आवश्यकता होने के कारण उक्त पत्रावलियों को पृथक से नियमानुसार स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पृथक से जरिये फर्द पेशकशी एवं जब्ती के कब्जा एसीबी लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर पुनः सुना गया तो उसमें लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार करने हेतु सुरक्षित ट्रेप बाक्स में रखा गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नितेश शर्मा पुत्र श्री राजेश शर्मा, उम्र- 24 साल, निवासी- प्रतापनगर, प्रधान पैराडाईज के पास, दौसा हाल- ग्राम विकास अधिकारी, ब्राह्मण बैराडा, पंचायत समिति- सिकंदरा, जिला- दौसा द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादी की फर्म अमृत कन्स्ट्रक्शन द्वारा ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा में किये जा रहे निर्माण कार्य के बिल की राशि, जो पूर्व में 02 लाख रूपये भुगतान किये जो चुके है, की एवज में दिनांक 30.04.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान बिल की राशि का बतौर कमीशन 08 प्रतिशत के हिसाब से 16,000/- रूपये की मांग करना व स्कूल कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य के लम्बित बिल राशि 2,60,000/- की राशि का भुगतान करने की एवज में बिल की राशि का 05 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 13,000/- रूपये तथा पूर्व में परिवादी की फर्म को भुगतान किये गये बिलो की राशि के बतौर कमीशन अन्य राशि 3,500/- रूपये, कुल 32,500/- रूपये की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 01.05.2024 को परिवादी से 15,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री नितेश शर्मा पुत्र श्री राजेश शर्मा, उम्र- 24 साल, निवासी- प्रतापनगर, प्रधान पैराडाईज के पास, दौसा हाल- ग्राम विकास अधिकारी, ब्राह्मण बैराडा, पंचायत समिति- सिकंदरा, जिला- दौसा द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादी की फर्म अमृत कन्स्ट्रक्शन द्वारा ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा में किये जा रहे निर्माण कार्य के बिल की राशि, जो पूर्व में 02 लाख रूपये भुगतान किये जो चुके है, की एवज में दिनांक 30.04.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान बिल की राशि का बतौर कमीशन 08 प्रतिशत के हिसाब से 16,000/- रूपये की मांग करना व स्कूल कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य के लम्बित बिल राशि 2,60,000/- की राशि का भुगतान करने की एवज में बिल की राशि का 05 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 13,000/- रूपये तथा पूर्व में परिवादी की फर्म को भुगतान किये गये बिलो की राशि के बतौर कमीशन अन्य राशि 3,500 /- रूपये, कुल 32,500/- रूप्ये की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 01.05.2024 को परिवादी से 15,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना तथा आरोपी श्री नितेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी के कब्जे से उक्त रिश्वत राशि बरामद होना पाया जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उनके जुर्म एवं संवेधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिंकन्दरा से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर आरोपी श्री नितsssश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी का सेवा विवरण तथा राजकीय सेवा में नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु कहने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिकन्दरा द्वारा आरोपी श्री नितेश शर्मा का सेवा विवरण मय राजकीय सेवा में नियुक्ति आदेश जरिये विशेष वाहक श्री विष्णु कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सिकन्दरा, जिला दौसा के साथ भिजवाये गये। जिनको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा के कार्यालय कक्ष को मौके पर पंचायत सिमति सिकन्दरा से उपस्थित आये श्री विष्णु कुमार शर्मा, सहायेd विकास अधिकारी को सुरक्षित हालात में सम्भलाया गया। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा एवं हालात मौका मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया। परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बैरवा को कल दिनांक 02.05.2024 को प्रातः 07.30 ए.एम पर ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आने मुनासिब हिदायत कर रूखस्त किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान शील्डशुदा शिशियों, बरामदा रिश्वत राशि, कपड़े की थैली (पैकेट)आदि को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय

गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री नितेश शर्मा, स्वतंत्र गवाहान श्री चरण सिंह, उमेश सैनी, मय श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री सुभाष चंद, हैड कानि. 35, श्री पन्नालाल कानि0 न0 09, श्री विनोद कानि0 न0 242, श्री रमजान कानि0 न0 466, श्री धर्मसिंह कानि0 249 चालक श्री गोविन्द सिंह कानि0 616 मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 9166 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स मय जप्तशुदा आर्टिकल्स रिश्वती राशि के ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराड़ा से रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचे। जहां ट्रेप बॉक्स तथा डिजीटलवॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी मे रखवाया गया। गिरफतारशुदा आरोपी को बेद हवालात करवाया जाकर सुपुर्द पहरा/निगरानी किया गया। दिनांक 02.05.2024 को परिवादी तथा गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आने पर कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 30.04.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी तथा आरोपी के मध्य हुई वार्ता, दिनांक 01.05.2024 रिष्वत मांग सत्यापन के क्रम में परिवादी तथा आरोपी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता तथा रिश्वत आदान-प्रदान के समय परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष उपरोक्त वार्ताओं की लेपटॉप/डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के जरिये चार सी.डी. तैयार कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क 'SD' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई। गिरफ्तारशुदा आरोपी स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री नितेश शर्मा पुत्र श्री राजेश शर्मा, उम्र- 24 साल, निवासी- प्रतापनगर, प्रधान पैराडाईज के पास, दौसा हाल- ग्राम विकास अधिकारी, ब्राह्मण बैराडा, पंचायत समिति- सिकंदरा, जिला- दौसा द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादी की फर्म अमृत कन्स्ट्रक्शन द्वारा ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराडा में किये जा रहे निर्माण कार्य के बिल की राशि, जो पूर्व में 02 लाख रूपये भुगतान किये जो चुके है, की एवज में दिनांक 30.04.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान बिल की राशि का बतौर कमीशन 08 प्रतिशत के हिसाब से 16,000/- रूपये की मांग करना व स्कूल कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य के लम्बित बिल राशि 2,60,000/- की राशि का भुगतान करने की एवज में बिल की राशि का 05 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 13,000/- रूपये तथा पूर्व में परिवादी की फर्म को भुगतान किये गये बिलो की राशि के बतौर कमीशन अन्य राशि 3,500/- रूपये, कुल 32,500/- रूपये की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 01.05.2024 को परिवादी से 15,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकडे जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री नितेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, ब्राह्मण बैराडा, पंचायत समिति सिकंदरा, जिला दौसा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है। (सज्जन कुमार) निरीक्षक पुलिस विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ....़.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सज्जन कुमार,निरीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नितेश शर्मा पुत्र श्री राजेश शर्मा निवासी प्रधान पेराडाईज के पास, प्रतापनगर, दौसा हाल ग्राम विकास अधिकारी, ब्रहामण बैराड़ा, पचांयत समिति सिकंदरा जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई जयपुर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 27 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 347-50 दिनांक 02.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर द्वितीय। 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा। । 3 उप महानिरीक्षक पुलिस- मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAGHUVEER SHARAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/05/2024 10:20:15

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)